UPAG010117652021

न्यायालय Addl.District and Sessions Judge / Spl. Judge (Pocso Act) No.29, Agra

पीठासीन अधिकारी– (Susri Naseema), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP**02677

सिविल अपील संख्या–34 / 2021
(मूलवाद संख्या 280 / 2019)

श्रीमती ममता पुत्री डम्बर सिंह पत्नी श्री रवीन्द्र सिंह निवासी कुकथला तहसील किरावली आगरा हाल निवासी नगला रतनदास जिला मथुरा

.....अपीलार्थी

बनाम

1–बच्चू सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह
2–कान्हा
3–छोटू पुत्रगण बच्चू सिंह
4–श्रीमती गुड्डी पत्नी बच्चू सिंह
5–राजकुमार
6–मुख्त्यार सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह
निवासीगण कुकथला थाना अछनेरा तहसील किरावली जिला आगरा।

.....प्रत्यर्थीगण

निर्णय

प्रस्तुत सिविल अपील मूल वाद संख्या 280 / 2019 श्रीमती ममता बनाम श्री बच्चू सिंह आदि मे अतिरिक्त सिविल जज(जू0डि0) कक्ष सं0–1 द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 16.09.202021 के विरूद्व योजित की गयी है उक्त निर्णय द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने अपीलकर्ता का वाद एक पक्षीय रूप से सव्यय निरस्त कर दिया है।

उपरोक्त अपील अपीलकर्ता द्वारा निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व है एक वास्तविक तथ्यों साक्ष्य, न्याय एवं साम्य के विपरीत है। विद्वान अवर न्यायालय ने वादी के निर्विवाद मौखिक साक्ष्य पर अविश्वास करके गम्भीर रूप से गलती की है। विद्वान न्यायालय ने कागज संख्या 13 के निर्विवाद हलफनामें की अनदेखी करके गम्भीर गलती की है जिसके परिणाम स्वरूप न्याय की हत्या हुई है। विद्वान अवर न्यायालय को इस बात पर विचार करने में असफल रही है कि साक्ष्य में वादी के निर्विवाद हलफनामें पर अविश्वास करते हुये उसे खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक पक्षीय मामले को साबित करने के लिये सबसे अच्छा और पर्याप्त सबूत है और इस मामले में किसी अन्य तरीके की

आवश्यकता नहीं थी। विद्वान अवर न्यायालय ने अविवादित याचिका को देखने और वादी के हलफनामे की साक्ष्य में, एवं अन्य सबूतों के अभाव में सम्पत्ति के स्वामित्व और कब्जे के सम्बन्ध में अविश्वास करने में गम्भीर गलती की है। अवर न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि प्रतिवादियों पर सम्मन की तामील के बावजूद उन्होने वादपत्र के तथ्यों को नकारते हुए अपना लिखित कथन दर्ज नहीं किया जिस कारण वादी का हलफनामा कागज सं0 13क सही साबित हुआ । विद्वान अवर न्यायालय ने वादी को उचित राहत देने के लिये अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप एवं अधिकारी क्षेत्र न्याय की हानि हुई है। इस मामले में आदेश 7 नियम 7 सी0पी0सी0 अदालत द्व ारा वादी को उचित एवं न्यायसंगत राहत दी जा सकती थी लेकिन विद्वान अवर न्यायालय ने कानूनी रूप से मामले का फैसला करने में अपनी शक्ति और क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप गालौच्य आदेश/निर्णय पारित हुआ है जिस कारण अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री कानून की नजर में वैध एवं न्यायोचित नहीं है। इन्हीं आधारों पर उपरोक्त मामले में पारित निर्णय दिनांकित 16.09.2021 निरस्त करने तथा अपीलकर्ता का वाद डिक्री करते हुए अपील स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षीगण तामील पर्याप्त होने एवं न्यायालय द्वारा पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद अपील में बहस हेतु उपस्थित नहीं हुये है।

सुंना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

मूल वाद में वादिनी/प्रत्यर्थी का वादपत्र में संक्षिप्त अभिकथन इस प्रकार से है कि वादिया के पिता स्व0 श्री डम्बर सिंह द्वारा एक जगह कुकथला तहसील किरावली जिला आगरा में गाटा संख्या 656अ, रकवा 0.3880 व 656बी 0.0190 हेक्टयर की जगह का पिताजी के स्थान पर मुझ वादिनी का नाम आया था क्योकि उसका नाम वादिया के नाम खाते में दर्ज हो चुका है। उक्त जगह आबादी में थी जिसमें मकान वादिया की जगह पर बना हुआ है लेकिन अब वादिया अपनी ससुराल में रह रही थी मकान का ताला लगा हुआ था उसमें गृहस्थी का सामान रखा था लेकिन पीछे से प्रतिवादीगण ने दिनांक 10.11.2018 को नींव खोदकर निर्माण करने की कोशिश की जिसका विरोध किया तो विरोध करने पर प्रतिवादीगण ने वादिया के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी तथा जबरन अपनी दीवार वादिया की जगह पर बना ली और उसके मकान को खण्डहर कर दिया। वादिया इनका मुकाबला करने में असमर्थ है। वादिया व उसके पति ने समझाया लेकिन प्रतिवादीगण अपनी आदत से बाज नहीं आये और वादिया की जगह पर जबरन दीवार खड़ी की और रास्ता अवरोध कर दिया । इस सम्बन्ध में वादिया ने उपजिलाधिकारी किरावली व क्षेत्राधिकारी किरावली, उपजिलाधिकारी व एस0एस0पी0 आगरा को शिकायत की लेकिन प्रतिवादीगण अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे है और लगातार वादिया की उपरोक्त जगह पर अपना अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे है जबकि प्रतिवादीगण को उपरोक्त जगह के सम्बन्ध में कोई हक व अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त नहीं है क्योंकि उपरोक्त जगह की वादिया मालिक है। एक मकान जो बना हुआ है उसको भी प्रतिवादीगण ईट डालकर रोक रहें है जिसको रोका जाना अति आवश्यक है क्योंकि प्रतिवादीगण वादिया को धमकी दे चुके है कि गांव में नहीं रहने देगें और तू इधर आयी तो तुझे व तेरे पति के हाथ पैर तोड़ देगें और तेरी व तेरे पति की लाश का पता नहीं

मिलेगा इसलिये चुपचाप यहॉ से चली जा नहीं तो अच्छा नहीं होगा । प्रतिवादीगण दंबंग व बदमाश किस्म के व्यक्ति है जो आये दिन गांव वालों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते रहते है। वादिया द्वारा याचना की गयी है कि प्रतिवादीगण को दौराने वाद निषेधित किया जाये कि वह वादिया के शान्तिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करे तथा ना ही जबरदस्ती कब्जा करे व निर्माण करे अन्यथा वादिनी को अपूर्णनीय क्षति होगी।

उपरोक्त वाद में विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु नोटिस प्रेषित किये गये परन्तु प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए तत्पश्चात दिनांक 26.02.2021 को प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी। वादिया द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र कागज सं0 13क प्रस्तुत किया है तथा वादिया द्वारा अन्य कोई साक्ष्य देने से इन्कार किया है। न्यायालय द्वारा पत्रावली में एक पक्षीय बहस सुनने के उपरान्त आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है।

उक्त निर्णय का अपील में वर्णित आधारों के परिप्रेक्ष्य में परिशीलन किया गया ।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कथन किया गया कि वादिया ने यह भी कहा है कि प्रतिवादीगण ने उक्त सम्पत्ति पर जबरन दीवार बना ली यानि यह वादिया की स्वयं की स्वीकारोक्ति है कि विवादित सम्पत्ति वादिया के कब्जे में नहीं है वादिया के पास यह भी विचार उपलब्ध था तब उसे प्रतिवादीगण द्वारा बेदखल किया गया था तो वह अपने वाद पत्र में याचित अनुतोष को संशोधित कर सकती थी तथा प्रतिवादीगण के निर्माण को हटवाने तथा प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाकर निषेधाज्ञा का अनुतोष दिलाये जाने की याचना कर सकती थी। अपीलीय न्यायालय अवर न्यायालय के इस कथन से सहमत नहीं है क्योंकि यदि वादिया अपनी सम्पत्ति में स्वयं नहीं रहती है तथा किसी कारणवश सम्पत्ति में ताला लगा हुआ है तो यह नहीं माना जा सकता कि वादिया का सम्पत्ति पर भौतिक या वास्तविक कब्जा नहीं है तथा किसी व्यक्ति को यह बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वह उसकी अनुपस्थिति में सम्पत्ति की नीवं खोदकर स्वयं की दीवार लगा ले, इसके अतिरिक्त विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद में अनुतोष इस कारण नहीं दिया गया है कि वादिया एक तरफ कह रही है कि प्रतिवादीगण उसकी सम्पत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे है वही उसके द्वारा यह भी तर्क दिया जा रहा है कि प्रतिवादीगण ने उसकी सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया है। इस तरह वादिया का कथन स्वयं में विरोभासी, अस्पष्ट तथा भ्रामक है। अपीलीय न्यायालय इस तर्क से भी सहमत नहीं है क्योंकि वादपत्र में अंकित कथन यह साबित करते है कि वादिया की सम्पत्ति पर प्रतिवादीगण दीवार लगाकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं तथा वादिया प्रतिवादीगण को उक्त सम्पत्ति में कब्जा करने से रोकने में विफल रही है जिस कारण उक्त अनुतोष को प्राप्त करने के लिये न्यायालय की शरण में आयी है।

विद्वान अवर न्यायालय ने अपने निर्णय में कथन किया कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया है जिसमें वादिया को दो बातें प्रमुख रूप से साबित करनी होगीः—

1— क्या विवादित सम्पत्ति वादिया के कब्जे में है ?

2— विवादित सम्पत्ति वादिया के स्वामित्व में है ?

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया ने विवादित सम्पत्ति के स्वामित्व से सम्बन्धित कोई प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल नहीं किया तथा विवादित सम्पत्ति के कब्जे में होने के बाबत कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वादिया ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में अंकित किया कि '' शपथकर्ता के पिता स्व0 डम्बर सिंह द्वारा एक जगह कुकथला तहसील किरावली जिला आगरा में गाटा संख्या 656अ रकवा 0.33800 है0 व 656बी 0.0150 है0 की जगह का पिताजी के स्थान पर वादी का नाम आया था जिसका नाम वादिया के खाते में दर्ज हो चुका है । उक्त जगह आबादी में थी जो मकान वादिया की जगह पर बना है, लेकिन वादिया अब अपनी ससुराल रह रही थी। मकान का ताला लगा हुआ था उसमें गृहस्थी का सामान रखा था''। वादिया ने ने शपथ पत्र में वर्णित कथन के समर्थन में विवादित सम्पत्ति का कोई खसरा खतौनी अथवा अपने पिताजी के नाम विवादित सम्पत्ति का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिस कारण वादिया द्व ारा स्वयं शपथ पत्र में अंकित किये गये कथन सिद्व नहीं किये गये हैं, जिस कारण वादिया का वाद स्वयं ही साबित नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि यदि वादिया विवादित सम्पत्ति पर अपना स्वामित्व साबित कर देती है तो वह वादपत्र में मांगे गये अनुतोष को प्राप्त करने की अधिकारिणी हो सकती है। निश्चित रूप से आक्षेपित आदेश में त्रुटि विद्यमान है इसलिये अपीलीय न्यायालय आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार पाती है तथा ऐसी दशा में वादिया की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अपील संख्या 34/2021 श्रीमती ममता बनाम बच्चू सिंह आदि आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा निर्णय व आज्ञप्ति दिनांकित 16.09. 2021 निरस्त की जाती है। वादिया को आदेशित किया जाता है कि वह अवर न्यायालय के समक्ष विवादित सम्पत्ति के स्वामित्व से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करें तथा अवर न्यायालय पक्षकारों को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुये उक्त वाद की सुनवाई करें ।

पत्रावली अवर न्यायालय को अतिशीघ्र प्रेषित हो। पक्षकार दिनांक 15.09.2022 को पुनः सुनवाई हेतु अवर न्यायालय के समक्ष पेश हो ।

(नसीमा)
अपर जिला जज,
न्यायालय सं0 29, आगरा।

दिनांक–26.08.2022

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(नसीमा)
अपर जिला जज,
न्यायालय सं0 29, आगरा।

दिनांक–26.08.2022